न्यायालय सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 79 /2021 तारीखरजू.– 1-10-2021

उनवानः– किस्तूरी बनाम रितिक उर्फ बिट्टू

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
1/10/21	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को दिनांक 18.10.2021 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 603/0.04, 604/0.04, 605/0.04, 606/0.06, 607/0.07, 608/0.10, 609/0.11, 610/0.10, 611/0.12, 614/0.12, 615/0.15, 616/0.05, 617/0.10, 618/0.22, 619/0.03, 620/0.31, 505/0.02 है0 **ग्राम भनकपुरा** एवं आराजी ख0न0 1092/0.33, 1093/0.29, 1212/0.27, 1213/0.39, 1214/0.14, 1222/0.49, 1293/0.23, 1294/0.26, 1295/0.08, 1296/0.24, 1297/0.27, 1186/0.35, 1187/0.22, 236/0.21, 238/0.19, स्थित **ग्राम भैंसीना** तहसील टोडाभीम मे आगामी पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार [illegible] प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा [illegible] गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकल्पित कर [illegible] की जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया [illegible] 18.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 कैम्प भनकपुरा [illegible] पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

5039-41
1-10-2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:07:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

मु0न0:– 79/2021

उनवानः– किरतूरी बनाम रितिक उर्फ बिटटू

प्रार्थी वकील उपस्थित, प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम भनकपुरा कुल किता 16 कुल रकवा 1.66 है0, साबिक ख0न0 315 मि., 316 मि., 317 मिन, 317 मिन. 318 मिन से बने है। ख0न0 505/0.02 साबिक ख0न0 296 से बना है, एवं ग्राम भैसीना की कुल किता 11 रकवा 2.92 है0 साबिक ख0न0 436मिन, 471मिन, 473मिन, 480मिन, 517मिन, 518मिन, 519मिन से बने है। कुल किता 2 रकवा 0.57 है0 साबिक ख0न0 421 मिन से बना है, कुल किता 2 कुल रकवा 0.40 है0 साबिक ख0न0 83मिन से बने है। सायलान व गैरसायल न0 1 व 3 व दावे के प्रतिवादी न0 4 ता 9 एक ही पूर्वज बुद्दा की संतति है, सायलान व गैरसायल न0 1 ता 3 अपने–अपने हिस्से पर काबिज एवं दखील है, जिसमे सायलान अपने–अपने हिससे की आराजी पर फसल बाजरा काश्त की है। इस प्रकार सायलान के हिस्से की आराजीयात से गैरसायलान या दीगर किसी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। वर्णित आराजीयात को गैरसायलान द्वारा दीगर व्यक्तियो को सायलान के हक मे बिना खातेदारी कराये ही विक्रय कर कब्जा कराने की धमकी देते है। यदि गैरसायलान अपनी उक्त गैरकानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, इसलिये गैरसायलान को पाबन्द किया जाना अतिआवश्यक है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाझा दिनांक 01.10.2021 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

सायलान वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम भनकपुरा की जमाबन्दी सम्वत जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 2, 121, तथा ग्राम भैसीना की जमाबन्दी के खाता न0 3, 4, 129 मे मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार सायलान के भाई व गैरसायलान न0 1 व 2 के पिता तथा गैरसायल न0 3 के पति बनवारी पुत्र देवीसहाय दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे वर्णित सजरा खानदान से स्पष्ट है कि खातेदार बनवारी पुत्र देवीसहाय फौत हो चुका है जिसमे नोशनल शेयर अनुसार सायलान का हिस्सा बनता है, सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ घोषणा खातेदारी, तकास्मा व स्थायी निषेधाझा का दावा पेश किया है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाझा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाझा दिनांक 01.10.2021 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:07:34 IST
Reason: SelfAttested